संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक / अ.प्र. / 2016 / 235 भोपाल, दिनांक 10 / 02 / 2016

प्रति,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्य प्रदेश।

विषयः—प्रदेश के चिकित्सालयों में सुरक्षा व्यवस्था लागू किये जाने हेतु संशोधित दिशा निर्देश।

संदर्भः—क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2013 / 768 दिनांक 20 / 06 / 2013

—00—

प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में सुरक्षा की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा संस्थाओं के प्रकार एवं उनमें स्वीकृत शैय्याओं के आधार से सुरक्षाकर्मी की संख्या के मापदंड निर्धारित किये जा कर संचालनालय के पत्र क्र./ अस्प.प्रशा. / 2013 / 768 भोपाल, दिनांक 20 / 06 / 2013 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये थे। वित्तीय कारणों से विचारोपरांत उक्त पत्र द्वारा जारी सुरक्षाकर्मी की संख्या में कमी कर सुरक्षाकर्मी के मापदंड निम्नानुसार संशोधित किये जाते है। प्रदेश के जिलों की स्वास्थ्य संस्थाओं में निम्नलिखित संशोधित मापदंड दिनांक 16 / 02 / 2016 से लागू किये जायें।

स.क्र	संस्था का नाम	सुरक्षाकर्मियों की संख्या	रिमार्क
1	कियाशील सीमॉक संस्था सी एच सी. / सिविल अस्पताल	4	सुबह की पाली में— दो दोपहर की पाली में —एक रात्रि की पाली में— एक
3	सिविल अस्पताल 100 शैय्यायें	8	सुबह की पाली में — दो गेट / केम्पस , एक —ओ.पी.डी., एक— वार्ड्स, दोपहर की पाली में दो रात्रि की पाली में दो
4	जिला अस्प. 100 शैय्यायें	10	सुबह की पाली में — 2 —गेट / केम्पस , 1— ओ.पी.डी., 3— वार्ड्स, दोपहर की पाली में 2— वार्ड्स रात्रि की पाली में 2

5	जिला अस्प. 200 शैय्यायें	12	सुबह की पाली में – 2 –गेट/केम्पस, 2–ओ.पी.डी., 4– वार्ड्स दोपहर की पाली में 2– वार्ड्स रात्रि की पाली में 2
6	जिला अस्प. 300 शैय्यायें	14	सुबह की पाली में – 2 –गेट/केम्पस, 2–ओ.पी.डी., 6– वार्ड्स दोपहर की पाली में 2– वार्ड्स रात्रि की पाली में 2
7	जिला अस्प. 400 शैय्यायें	14	सुबह की पाली में – 2 –गेट/केम्पस, 2–ओ.पी.डी., 6– वार्ड्स, दोपहर की पाली में 2– वार्ड्स रात्रि की पाली में 2
8	जिला अस्प. 500 शैय्यायें एवं 500 से अधिक शैय्यायें	20	सुबह की पाली में – 2 –गेट/केम्पस, 3–ओ.पी.डी., 7– वार्ड्स, दोपहर की पाली में 4– वार्ड्स, इमर्जेन्सी गेट रात्रि की पाली में 4– वार्ड्स, इमर्जेन्सी गेट

1) प्रदेश के शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध मॉडल टेन्डर डॉक्यूमेन्ट अनुसार खुली निविदा कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये। मॉडल टेन्डर डॉक्यूमेन्ट में दर्शायी गई सभी शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाये।

2) उपरोक्त टेबल में जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल एवं क्रियाशील सीमॉक चिकित्सा संस्थाओं में उनके समक्ष दर्शायी संख्या अनुसार सुरक्षाकर्मी तीन पालियों में (सुबह, दोपहर एवं शाम) में लगायें।

3) परिपत्र में दर्शाई सुरक्षाकर्मियों की संख्या केवल सुझावात्मक है एवं स्थानीय आवश्यकता को देखते हुये इसकी संख्या में कमी की जा सकती है। सुझाई गई संख्या से अधिक सुरक्षाकर्मी केवल विशेष

परिस्थितियों एवं अति आवश्यक होने पर ही संचालक स्वास्थ्य सेवायें (अस्प.प्रशा.) से अनुमोदन प्राप्त कर ही रखे जा सकते हैं।

4) सेवा प्रदाता को शासकीय श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी से संबंधित ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी, सर्विस टैक्स आदि भी स्वयं वहन करना होगा। निविदा दर में सर्विस टैक्स का पृथक से उल्लेख अनिवार्यतः होगा।

5) मॉडल टेन्डर डॉक्यूमेन्ट अनुसार एजेन्सी द्वारा कर्मचारियों का वेतन– न्यूनतम कलेक्टर दर पर देय होगा।

6) एजेन्सी द्वारा कर्मचारियो के वेतन का भुगतान ई–पेमेन्ट द्वारा ही कराया जाये।

7) एजेन्सी द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक अटेन्डस सिस्टम द्वारा लिया जाना सुनिश्चित करें।

8) एजेन्सी द्वारा कर्मचारियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाना है। चिकित्सालयों में सुरक्षा कर्मचारी यूनिफॉर्म में रहे एवं नाम पट्टिका लगायें।

9) महिला वार्ड/ओ.पी.डी में यथासंभव महिला सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगाई जाये। चिकित्सालय में कितनी महिला सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है इसकी स्थानीय आवश्यकता तथा सुझाई गई संख्या के अनुसार गणना कर निविदा में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

10) चिकित्सालयों में सुरक्षाकर्मी तीन पाली में प्रातः 7.00 से दोप. 3.00 बजे, दोप. 3.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे एवं रात्रि 11.00 से सुबह 7.00 बजे कार्य करेंगें। सप्ताह में अवकाश श्रमिक अधिनियम के प्रावधान अनुसार देय होगा।

11) सुरक्षा कर्मियों की आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक न हो।

12) सुरक्षा कर्मी की ड्रेस एवं आवश्यक सामग्री (यूनिफार्म, लाठी, वॉकी–टॉकी, टार्च, सीटी आदि) की व्यवस्था का उत्तरदायित्व आउटसोर्स एजेन्सी का रहेगा। उक्त सामग्री पर व्यय का निविदा में उल्लेख किया जायेगा

13) अनुबंध के समय सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति पूर्व पुलिस सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल फिटनेस) का प्रमाण–पत्र ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

14) चिकित्सालय की सुरक्षा की व्यवस्था के लिये एक नोडल अधिकारी चिन्हांकित किया जाये। जिला चिकित्सालयों के आर.एम.ओ. द्वारा नोडल अधिकारी का दायित्व निर्वहन किया जाये। नोडल अधिकारी प्रतिदिन तीन बार राउंड लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जॉच करें तथा इसकी लिखित रिपोर्ट सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सक के समक्ष प्रस्तुत करें। निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी सुनिश्चित करें कि निर्धारित संख्या में सुरक्षाकर्मी उपस्थित हैं तथा सुरक्षा कर्मी नियत स्थान पर की डयूटी हेतु तैनात है।

15) मॉडल टेण्डर डॉक्यूमेन्ट की निविदा शर्तों में पेनाल्टी के कड़े प्रावधान किये गये हैं। पर्यवेक्षण के दौरान कोई भी कमी पाये जाने पर प्रावधान अनुसार पेनाल्टी लगाई जाये।

) जिन जिलों में मॉडल टेंडर डाक्यूमेंट के अनुसार आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से व्यवस्था नहीं की गई है, अथवा जिन जिलों में अगामी तीन माह में सुरक्षा व्यवस्था का अनुबंध समाप्त हो रहा है, उन जिलों में उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार नए सिरे से निविदा कर व्यवस्था की जाये।

17) जिन जिलों में निविदा प्रक्रियाधीन है, निविदा में इन निर्देशों में दर्शायी संख्या अनुसार ही संस्थाओं हेतु कर्मचारियों का अनुबंध किया जाये।

18) जिन जिलों में अनुबंध समाप्त होने में तीन माह से अधिक समयावधि शेष है,उन जिलों में भी एजेन्सी को निर्देशित करते हुए उपरोक्त दिशा निर्देशों में दर्शायी संख्या अनुसार ही कर्मचारी दिनांक 16.02.2016 से रखे जायें।

19) **उपरोक्त टेबल में दर्शायी संस्थाओं पर ही आउटसोंस एजेन्सी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की जाये। शेष अकियाशील सीमॉक संस्थाओं, समस्त बीमॉक संस्थाओं (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) एवं लेवल 1 डिलेवरी पॉईन्टस में आउटसोंसिंग एजेन्सी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था नहीं संचालित की जाये।**

<u>उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।</u>

संचालक,(अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / अ.प्र. / 2016 / भोपाल, दिनांक / / 2016

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4) संचालक, वित्त, एन.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5) अपर संचालक, वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7) समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।

संचालक,(अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.भोपाल